

प्ररूप 6
{नियम 13 (1) और 26 देखिए}

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन

सेवा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,विधान सभा / संसदीय [£] निर्वाचन-क्षेत्र महोदय, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए । निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं ।		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5 से0मी0 X 3.5 से0मी0), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान </div>					
I. आवेदक का ब्यौरा	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">नाम</td> <td style="width: 30%;">उपनाम (यदि कोई है)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	नाम	उपनाम (यदि कोई है)				
नाम	उपनाम (यदि कोई है)						
1 जनवरी..... [#] को आयु	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">वर्ष:</td> <td style="width: 20%;">मास:</td> <td style="width: 60%;">लिंग (पुरुष/स्त्री/अन्य):</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	वर्ष:	मास:	लिंग (पुरुष/स्त्री/अन्य):			
वर्ष:	मास:	लिंग (पुरुष/स्त्री/अन्य):					
जन्म तिथि, यदि ज्ञात है:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">दिन:</td> <td style="width: 20%;">मास:</td> <td style="width: 60%;">वर्ष:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	दिन:	मास:	वर्ष:			
दिन:	मास:	वर्ष:					
जन्म का स्थान:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">ग्राम/नगर:</td> <td style="width: 40%;">राज्य:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ग्राम/नगर:	राज्य:				
ग्राम/नगर:	राज्य:						
*पिता/माता/पति का नाम	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">नाम</td> <td style="width: 70%;">उपनाम (यदि कोई है)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	नाम	उपनाम (यदि कोई है)				
नाम	उपनाम (यदि कोई है)						
II. मामूली तौर से निवास स्थान का विवरण (पूरा पता)							
मकान/गृह संख्या:							
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/ मोहल्ला/सड़क:							
नगर/ग्राम:							
डाकघर:	पिन कोड						
तहसील/तालुक/मंडल/थाना:							
जिला:							
III. निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित किए गए आवेदक के परिवार के सदस्य(यों) का ब्यौरा:							
नाम	आवेदक के साथ सम्बंध	निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली की भाग संख्या	उस भाग में क्रम संख्या	निर्वाचक की फोटो पहचान-पत्र संख्या			
1.							
2.							

£ उन संघ राज्यों क्षेत्रों जिनमें विधान सभा नहीं हैं और जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में ।

कृपया वर्ष उल्लिखित करें जैसे 2011, 2012 आदि ।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

IV. घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- (i) मैं भारत का नागरिक हूँ ;
- (ii) मैं..... (तारीख, मास, वर्ष) से उपर्युक्त भाग-II में दिए गए पते पर मामूली तौर से निवासी हूँ ;
- (iii) मैंने किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है ;
- (iv) *इस या किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है

या

*मेरा नाम राज्य के निर्वाचन-क्षेत्र के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिया गया होगा और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए ।

पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान)	निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र संख्या (यदि पहले से ही जारी है)
_____	_____
_____	_____
_____	जारी करने की तारीख-_____

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

कृपया अपना मोबाईल नम्बर / ई-मेल आई.डी. दें (ऐच्छिक)_____

टिप्पणी:- कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा ।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

**की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाना है)**

श्री/श्रीमती/कुमारी..... के निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने हेतु प्ररूप 6 में दिये गये आवेदन को *स्वीकार कर लिया गया है/ *नामंजूर कर दिया गया है।

स्वीकार करने [नियम 18 /20* /26(4)[£] के अधीन या उसके अनुसरण में] या *नामंजूर करने [नियम 17/20* /26(4)[£] के अधीन या उसके अनुसरण में] के लिए विस्तृत कारण:

स्थान:		
दिनांक:	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर	(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की मुहर)

[£] निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान ।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्रीय पदाधिकारी (अर्थात् बूथ लेबल अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणियां

यह पृष्ठ इतना सघन होना चाहिए कि यह डाक द्वारा भेजे जाने पर विकृत/क्षतिग्रस्त न हो

कृत कार्यवाही की सूचना
(इस पृष्ठ का भाग-II निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जायेगा एवं आवेदक द्वारा भाग-I में दर्शाए गये पते पर आवेदक को भेजा जायेगा)

.....प्रथम मोड़.....

भाग-I

डाक प्रेषण के
समय निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण
प्राधिकारी द्वारा
डाक टिकट
चिपकाया जाए

प्ररूप-6 पर **श्री /श्रीमती /कुमारी.....का आवेदन पत्र

**(पूरा पता)									
मकान/गृह संख्या :									
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क:									
नगर / ग्राम :									
डाक घर :	पिन कोड : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
तहसील / तालुक / :									
मण्डल / थाना									
जिला :									

**आवेदक द्वारा भरा जायेगा।

.....द्वितीय मोड़.....

भाग-II

(क) स्वीकृत कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारी.....का नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रकी भाग संख्या.....की क्रमांक.....पर पंजीकृत कर लिया गया है।

(ख) कारण से अस्वीकृत किया गया है।

दिनांक

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
(पता)

.....

.....

.....छिद्रण.....

आवेदन की पावती

**श्री/श्रीमती/कुमारी

**पता

से प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त किया।

दिनांक:.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
की ओर से आवेदन प्राप्त करने
वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(पता).....

.....

** आवेदक द्वारा भरा जाए।

आवेदन प्ररूप-6 भरने के लिए दिशा-निर्देश सामान्य अनुदेश

प्ररूप-6 कौन दाखिल कर सकता है

1. उस वर्ष की जनवरी की पहली तारीख को जिसके संदर्भ में निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण किया जा रहा है, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो पहली बार आवेदन दे रहा है।
2. किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत वह निर्वाचक जिसका मामूली तौर पर निवास स्थान अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है।

प्ररूप-6 कब दाखिल किया जा सकता है

1. निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् आवेदन दाखिल किया जा सकता है। आवेदन, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट दिनों के भीतर ही दाखिल किया जाना होता है। जब पुनरीक्षण कार्यक्रम की उद्घोषणा होती है, तब उपर्युक्त अवधि के विषय में व्यापक प्रचार किया जाता है।
2. आवेदन की केवल एक प्रति ही दाखिल करनी होती है।
3. नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी नहीं रहने पर भी वर्ष में कभी भी दाखिल किया जा सकता है। गैर-पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन दो प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए।

प्ररूप-6 कहां दाखिल किया जाए

1. पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन उन अभिहित स्थानों (प्रायः मतदान केन्द्र स्थलों पर), जहां प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रदर्शित की जाती है, के साथ-साथ निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल किया जा सकता है।
2. वर्ष की अन्य अवधि के दौरान जब पुनरीक्षण का कार्य नहीं चल रहा हो, तब आवेदन केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास ही दाखिल किया जा सकता है।

प्ररूप-6 कैसे भरें

1. आवेदन उस निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए, जहां आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं। खाली स्थान में निर्वाचन-क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए।

2. नाम (दस्तावेजी साक्ष्य के साथ)

नाम, जैसा कि उसे निर्वाचक नामावली तथा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.) में होना चाहिए, उल्लिखित किया जाना चाहिए। उपनाम को छोड़कर पूरा नाम पहले खाने में लिखा जाना चाहिए तथा उपनाम दूसरे खाने में लिखा जाना चाहिए। आपका उपनाम नहीं होने की दशा में केवल दिया गया नाम ही लिखें। ऐसे मामले, जहां जाति के नाम का उल्लेख निर्वाचक के नाम या उपनाम के अंश के रूप में प्रयुक्त है को छोड़कर, अन्यत्र नहीं किया जाना चाहिए। सम्मान सूचक पदवियों जैसे श्री, श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम, पंडित इत्यादि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

3. उम्र (दस्तावेजी साक्ष्य के साथ)

उस वर्ष की 1 जनवरी, जिसके संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है, को आवेदक की उम्र अठारह वर्ष या अधिक होनी चाहिए। उम्र वर्ष और महीनों में दर्शायी जानी चाहिए।

उदाहरण के रूप में वह व्यक्ति जिसका जन्म 01.01.1991 को या उसके पहले हुआ है, 01.01.2009 के संदर्भ में पुनरीक्षित निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराए जाने का पात्र होगा। जिस व्यक्ति का जन्म 02.01.1991 या उसके बाद तथा 01.01.1992 तक हुआ है, वह 01.01.2010 के संदर्भ में होने वाले पुनरीक्षण के संदर्भ में नाम सम्मिलन के लिए पात्र होगा।

4. लिंग

दिए गए स्थान में अपने लिंग का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, जैसे कि पुरुष/महिला। यदि आवेदक पुरुष या महिला का उल्लेख करना नहीं चाहते तो वे अपने लिंग को "अन्य" लिख सकते हैं।

5. जन्म तिथि (दस्तावेजी साक्ष्य के साथ)

जन्म तिथि को दिनांक/माह/वर्ष इस क्रम में निर्धारित स्थान में अंकों में भरें। जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित साक्ष्य संलग्न करें:-

- (i) नगर पालिका प्राधिकारियों या जिला निबंधक, जन्म व मृत्यु पंजीकरण के कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण-पत्र या बैप्टीजम प्रमाण-पत्र; या
- (ii) आवेदक द्वारा दाखिला लिए गए अंतिम (सरकारी/मान्यता प्राप्त) विद्यालय या अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त जन्म प्रमाण-पत्र; या
- (iii) यदि व्यक्ति ने दसवीं कक्षा या इससे अधिक उत्तीर्ण की हो, तो उसे दसवीं कक्षा की अंकतालिका की प्रतिलिपि देनी चाहिए यदि उसमें साक्ष्य के रूप में जन्म तिथि अन्तर्विष्ट की गई हो, या
- (iv) आठवीं कक्षा की अंकतालिका यदि उसमें जन्म तिथि अन्तर्विष्ट हो, या
- (v) पांचवीं कक्षा की अंकतालिका यदि उसमें जन्म तिथि अन्तर्विष्ट हो, या
- (vi) यदि व्यक्ति दसवीं कक्षा तक शिक्षित नहीं है तो उसके माता-पिता द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध-1 पर घोषणा की जानी है (उन मामलों में जहाँ आयु के साक्ष्य के रूप में पैतृक घोषणा की जाती है, आवेदक को सत्यापन हेतु बूथ लेवल अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होना होगा।

- (vii) यदि व्यक्ति दसवी कक्षा तक शिक्षित न हो एवं दोनों माता-पिता जीवित न हो, तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान/सरपंच या सम्बन्धित नगर निगम/ नगर पालिका के सदस्य द्वारा जारी किया गया उसकी आयु का प्रमाण-पत्र दिया जाए।

टिप्पणी:- आयु सम्बन्धी दस्तावेजी साक्ष्य केवल उन मामलों में ही आवश्यक होंगे जहाँ आवेदक की आयु 18 और 21 वर्षों के मध्य हो। अन्य सभी मामलों में आवेदक के द्वारा अपनी आयु के सम्बन्ध में की गई घोषणा, आयु साक्ष्य के रूप में ली जायेगी।

6. जन्म स्थान

जन्म स्थान भारत में होने की दशा में, कृपया स्थान का नाम जैसे ग्राम/शहर, जिला, राज्य का उल्लेख करें।

7. परिवार के अन्य सदस्य का नाम:

अविवाहित महिला आवेदक के मामले में पिता/माता के नाम का उल्लेख किया जाए। विवाहित महिला आवेदक के मामले में पति के नाम का उल्लेख किया जाए। इस स्तंभ से अनुपयुक्त विकल्पों को काट दें।

8. वर्तमान मामूली तौर से निवास का स्थान

दिए गए स्थान में पिन कोड सहित उस जगह का पूरा डाक-पता उल्लिखित करें, जहां आप मामूली तौर से निवास करते हैं तथा पंजीकरण कराना चाहते हैं।

वर्तमान मामूली तौर से निवास स्थान के लिये निम्नलिखित साक्ष्य संलग्न करें :

- (i) बैंक/किसान/डाक-घर का चालू पासबुक, या
- (ii) आवेदक का राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आयकर रिटर्न या निर्धारण आदेश ; या
- (iii) आवेदक या उनके निकट संबंधी जैसे माता-पिता आदि के नाम से उस पते पर अद्यतन जल/टेलीफोन/ बिजली/गैस कनेक्शन बिल ; या
- (iv) डाक विभाग द्वारा दिए गए पते पर प्राप्त की गई/सुपुर्द की गई डाक।

टिप्पणी:- बेघर व्यक्तियों के मामले में बूथ लेवल अधिकारी को अभिनिश्चित करने हेतु प्ररूप 6 में दिये गए पते पर रात्रि में जाना होगा कि बेघर व्यक्ति स्थान पर वास्तव में सोता है जैसाकि उसने प्ररूप 6 में अपना पता दिया है। यदि बूथ लेवल अधिकारी सत्यापन करने में समर्थ हो जाता है कि बेघर व्यक्ति उस स्थान में वास्तव में सोता है, तो आवासीय स्थान के दस्तावेजी साक्ष्य लेने आवश्यक नहीं होंगे। बूथ लेवल अधिकारी को ऐसे सत्यापन करने हेतु एक रात से अधिक बार जाना चाहिए।

9. निर्वाचक नामावली में पहले से सम्मिलित परिवार के सदस्यों के ब्यौरे कृपया निकट पारिवारिक संबंधियों जैसे पिता/माता/भाई/बहन/पति/पत्नी का नाम व अन्य ब्यौरे उल्लिखित करें जिनको वर्तमान निर्वाचक नामावली में शामिल कर लिया गया है। किसी अन्य सम्बंधी जैसे चाचा, चाची, चचेरे भाई/बहन आदि के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना है।

10. घोषणा

कृपया उस तिथि को इंगित करें, जब से आप दिए गए पते पर निवास कर रहे हैं। यदि निश्चित तिथि, ज्ञात न हो तो महीना व वर्ष का उल्लेख करें।

यदि आपका नाम पहले ही किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा चुका है, तो कृपया पिन कोड के साथ अपना पूर्व का पूर्ण पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें।

यदि आपके पास पहले से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र है, तो कृपया पहचान पत्र का क्रमांक (सामने की ओर मुद्रित) एवं उसके जारी होने की तिथि (पीछे की ओर मुद्रित) आवेदन पत्र के प्रदत्त स्थान में उल्लिखित करें। कृपया पहचान पत्र के दोनों तरफ की छायाप्रति स्वअभिप्रेमाणित कर संलग्न करें।

विविध

कई स्थानों पर निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की फोटो भी मुद्रित है। आपके पास प्रारूप के साथ एक पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो जमा करने का विकल्प है। यदि अपेक्षित हुआ, तो इस फोटोग्राफ का उपयोग निर्वाचक नामावली पर आपकी छवि मुद्रित करने तथा फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिये किया जाएगा।

कृपया सूचना तथा पावती के भाग में अपना पूरा नाम एवं पता भी लिखें।

कृपया प्ररूप में अपना मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दें, जोकि ऐच्छिक है, क्योंकि यह, यदि दिया गया हो, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जब भी आवश्यक हो आवेदक के साथ आगामी पत्र-व्यवहार/सम्पर्क हेतु प्रयोग किया जा सकता है।